2018 है। पत्रावली दिनांक 10-5-2018 को पेश हो।

दिनांक 10-5-2018

पत्रावली नियत कार्यक्रम अनुसार राजस्व लोक उत्सव अभियान ग्राम आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट, बेंच में पेश हुई। पक्षकारो को लोक उत्सव के जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये जो शामिल मिसल है। प्रार्थी बावजूद नोटिस तामील के वकालतन। असालतन उपस्थित नहीं है। अप्रार्थी पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रकरण बरस के लिये लंबित होने तथा प्रार्थी बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने से प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने का निर्णय लिया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी ने दिनांक 2-11-1997 को कैम्प सुडाला में ग्राम जारवरी स्थित भूमि गत खसरा नंबर 177 में आवंटित 10 बीगा भूमि से बने हाल खसरा नंबर 388 रकबा 1-60 Eacre की इन्द्राज दुरुस्ती के माध्यम से

10/5/2018
B/ rBal

खातेदारी दर्ज किये जाने की मांग की जा रही है। इसके विपरित अप्रार्थी तहसीलदार बाली के जवाब अनुसार भरखस्त भूमि सिवायचक दर्ज है आवंटन के पश्चात कब्जा नहीं होने से प्रबन्ध विभाग द्वारा मौके की स्थिति अनुसार ही इन्द्राज किया गया है। प्रार्थी द्वारा चाही जा रही भूमि नगरपालिका सुजला-फालना के पेराफेरी क्षेत्र मे होना भी जाहिर किया गया। इस प्रकार उक्त प्रकरण मे यह जाहिर है कि भरखस्त भूमि सेटलमेंट पूर्व के अधिकार अभिलेख मे भी सिवायचक दर्ज थी तथा वर्तमान मे भी सिवायचक दर्ज है। धारा 136 राज. भू. अधिनियम, 1956 के प्रावधानो अनुसार उपखण्ड अधिकारी दोनो पक्षो के सहमत होने पर प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई गणितीय त्रुटि को दुरस्ती के आदेश दे सकता है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में गणितीय त्रुटि न होकर पूर्व मे किये गये आवंटन को आधार बनाते हुये सिवायचक भूमि को खातेदारी दर्ज किये जाने की मांग की जा रही है जिसकी अनुमति विधि के प्रावधान प्रदत्त नहीं करते है। अतः ग्राम जाडरी स्थित भूमि गैर खसरा नंबर 177 से बने हाल खसरा नंबर 388 रकबा 1.60 हैक्टर के संबंध मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज. भू. अधिनियम, 1956 खारिज किया जाता है। पत्रावली मिसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

उप - खण्ड अधिकारी, बा…